

प्ररूप 26
(नियम 4क देखिए)



25 विधान सभा हरिद्वार

(निर्वाचन क्षेत्र से)

(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

विधान सभा उत्तराखण्ड (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ-पत्र

मैं, धीरज कारकाज पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व. शिवर चन्द
44 आयु 44 वर्ष, जो हरिद्वार 25 विधान सभा
का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ/शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ—

1. मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी):—

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं नाए

(ii) पुलिस थाना (थाने) नाए जिला (जिले) नाए राज्य नाए

(iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी आरोपित किया गया है नाए

नाए

(iv) न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई नाए

.....

(v) तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किया गया थे नाए

(vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं नाए

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं

ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है। नहीं किया गया है लागू नहीं

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दण्डादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा) :-

(i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याएं लागू नहीं

(ii) न्यायालय, जिसने दण्डित किया है लागू नहीं

(iii) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं जिला (जिले) राज्य.....

(iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए अभ्यर्थी कभी आरोपित किया गया है.....

(v) तारीख (तारीखें) जिनको दण्डादेश सुनाया गया था/सुनाए गए थे नहीं लागू

(vi) क्या दण्डादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गए हैं.....
लागू नहीं

स्थान
तारीख

वीरज
अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं, ऊपर नामित अभिसाक्षी, यह सत्यापित और घोषित करता/करती हूँ कि इस शपथ-पत्र की अंतर्वस्तु मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्विक बात छिपायी नहीं गयी है।

शेखनबाद (हरिद्वार) स्थान पर आज तारीख 9-1-2012 को सत्यापित किया।

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर
वीरज

टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, को खाली छोड़ें।

NOTARIES
M. K. KUMAR
M. K. KUMAR
ADVOCATE NOTARY
HARIYANAR (INDIA)
Regd. No. 50 (05)/2011
Dist. & Session Court
08-01-2012

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

13AA 983081



दीरज